राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0 /1056/ 2023 दिनांकः— 16 मार्च, 2023

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

विषयः परास्नातक स्तर पर नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या— आर0एम0पी0यू0 / 850 / 2022 दिनांक 25 फरवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा परास्नातक स्तर पर सत्र 2022—23 से नई शिक्षा नीति लागू करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के शिक्षा नीति प्रकोष्ठ की संस्तुति अनुपालन हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त संस्तुति में विश्वविद्यालय के शिक्षा नीति प्रकोष्ठ द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है।

उक्त क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ की परास्नातक / पीएच0डी0 के सम्बन्ध में संस्तुति दिनांक 04.03.2023 विद्या परिषद एवं कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ की परास्नातक / पीएच0डी0 के सम्बन्ध में संशोधित संस्तुति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
02. समस्त संकायाध्यक्ष, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
03. समस्त संयोजक, अध्ययन समिति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
04. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं महाविद्यालय लॉगइन पर अपलोड किये जाने हेतु।
05. गार्ड फाइल।

सहा. कुलसचिव

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ–2020

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–2–2021–16(26)/2011 टी0सी0, दिनांक 13 जुलाई 2021 जारी किया था जिसके बिन्दु संख्या–4 में कहा गया था कि स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा । चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) तकनीकी शिक्षा (B.Tech., MCA etc.) विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0, बी0एससी0 – एल0एल0बी0 एल0एल0बी0, एल0एम0एम0 इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, एम0पी0एड0) इत्यादि के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन0ई0पी0– 2020 के अनुरूप किया जायेगा ।

(अ) स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास –

1. नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगे । यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा ।
2. इस वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मैरिट पर आधारित होगा । प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
3. स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर, उत्तीर्ण करने के पश्चात् यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी। स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52+48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी ।

(ब) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम / कार्यक्रम संरचना –

1. स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (मेजर विषय) होगा । सैद्धान्तिक विषयों (नॉन प्रक्टीकल) में चार थ्यौरी के पेपर (05 क्रेडिट का प्रत्येक) अथवा प्रयोगात्मक विषयों में चार थ्यौरी के व एक प्रयोगात्मक पेपर (सभी 04+04 क्रेडिट) प्रत्येक सेमेस्टर में होंगे। इस प्रकार एक सेमेस्टर के मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे । सैद्धान्तिक विषयों (नॉन प्रक्टीकल) के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि पाँच क्रेडिट के चार पेपर बनाये जाने हैं ।

यहाँ सैद्धान्तिक विषयों (चारों सैद्धान्तिक अनिवार्य) में अतिरिक्त पाँचवें प्रयोगात्मक पेपर को बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर में महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समाहित किया जा चुका है।

2. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र को प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा। यह पेपर 4 क्रेडिट का होगा । जिसकी गणना CGPA में की जायेगी ।

3. प्रत्येक विषय में चार सेमेस्टर का पाठ्यक्रम तैयार होगा जिसके प्रत्येक सेमेस्टर में चार मेजर पेपर, एक माइनर पेपर (अन्य संकाय से केवल प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में) तथा एक रिसर्च प्रोजेक्ट विद्यार्थी को पढ़ने होंगे । अतः पाठ्यक्रम की योजना इसी प्रकार रहेगी । प्रयोगात्मक विषयों में मेजर पेपरों की संख्या प्रयोगात्मक पेपर सहित 05 हो जायेगी।

4. प्रत्येक विषय के प्रथम सेमेस्टर के प्रथम मेजर पेपर का पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उस पेपर का अन्य संकायों के विद्यार्थी भी सुविधापूर्वक अध्ययन कर सकें । 5 क्रेडिट के मेजर पेपर का पाठ्यक्रम प्रायः इस प्रकार बनना चाहिए कि प्रत्येक पेपर में 5 क्रेडिट बराबर 5 यूनिट में विभाजित किये जायें ताकि विद्यार्थियों द्वारा उसका चयन माइनर इलैक्टिव के रूप में किया जा सके क्योंकि माइनर इलैक्टिव में केवल 4 क्रेडिट के पेपर या 5 क्रेडिट के पेपर में से 4 क्रेडिट के पाठ्यक्रम का ही अध्ययन किया जाना है ।

(स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि उसमें अधिकाधिक वैकल्पिक (Optional) पेपर्स हों तथा पाठ्यक्रम बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं एकडेमिक काउंसिल से अनुमोदित होंगे)

(स) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शोध परियोजना–

1. रिसर्च प्रोजेक्ट प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में आवंटित कर दिया जायेगा। जिसके क्रेडिट उसी सेमेस्टर में विद्यार्थी को प्राप्त होंगे परन्तु मूल्यांकन व्यवस्था में प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर का अंकों के आधार पर मूल्यांकन क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में 100 (50+50) अंकों में से होगा ।

2. रिसर्च प्रोजेक्ट / शोध परियोजना एक आन्तरिक सुपरवाइजर के निर्देशन में पूर्ण की जानी है और यदि आवश्यक हो तो को–सुपरवाइजर (जो किसी उद्योग / कम्पनी / तकनीकी संस्थान का हो सकता है) का निर्देशन में सहयोग लिया जा सकता है। रिसर्च प्रोजेक्ट का शीर्षक / विषय प्रतिवर्ष प्रायः अलग–अलग होना चाहिए लेकिन निर्देशक की सहमति एवं विद्यार्थी की रूचि के अनुसार दोंनो वर्षो के रिसर्च प्रोजेक्ट एक ही शीर्षक के साथ किये जा सकते हैं । सामान्यतः रिसर्च प्रोजेक्ट 03 से 06 विद्यार्थियों के समूह बनाकर आवंटित किये जायेंगे । प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम 20 पेज या समूह में यदि है तो न्यूनतम 60 पेज की तैयार करके सम्बन्धित विभाग में जमा करेगा लेकिन मूल्यांकन केवल उपस्थित विद्यार्थियों का ही होगा।

3. स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सैमेस्टर में 04 क्रैडिट की शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सैमेस्टर में की गई शोध परियोजना (Research Project/Dissertation) का संयुक्त प्रबन्ध जमा करेगा । जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक (External Examinar) द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों (50+50) में से किया जायेगा तथा इस परीक्षा में कुल 08 क्रैडिट अर्जित होंगे । प्रोजेक्ट रिपोर्ट / शोध पत्र यदि किसी नामित यू0जी0सी0–केयर लिस्ट के जर्नल / शोध पत्रिका में प्रकाशित हो जाता है तो विद्यार्थी को अतिरिक्त 25 अंक मूल्यांकन में दिये जायेंगे परन्तु कुल प्राप्तांक कभी भी 100 से अधिक नहीं होंगे।

4 ललित कला संकाय के विषयों में प्रयोगात्मक भाग का भारांक अधिक रहेगा जिसमें थ्यौरी के दो पेपर और प्रयोगात्मक के तीन पेपर (प्रत्येक 4 क्रेडिट का) बनाये जा सकते हैं ।

5 रिसर्च प्रोजैक्ट / शोध परियोजना हेतु छात्रों का आवंटन सम्बन्धित विभाग में नियुक्त कुल शिक्षकों के सापेक्ष समान अनुपात में सुनिश्चित किया जायेगा । जिसका निर्धारण विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य की देखरेख में होगा । मूल्यांकन में वाह्य परीक्षक वि0वि0 द्वारा नामित प्राध्यापक होंगे जबकि आन्तरिक परीक्षक सम्बन्धित पर्यवेक्षक होंगे ।

नोट : 1. शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा ।

2. स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को इण्टर्नशिप / फील्ड ट्रैनिंग ग्रीष्मावकाश / शीतकालीन अवकाश के दौरान बोर्ड ऑफ स्टडीज की आवश्यकता के अनुसार करनी होगी ।

(द) उत्तीर्णांक (Passing Marks) की व्यवस्था निम्न प्रकार रहेगी –

1 चारों / पांचों मेजर (Theory/Practical), एक माइनर तथा रिसर्च प्रोजेक्ट के कोर्स / पेपर में उत्तीर्णांक बाह्य मूल्यांकन में पूर्णांक (75) का 40 प्रतिशत (30) रहेगा जबकि सतत आन्तरिक मूल्यांकन (25) में कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक सुनिश्चित नहीं है बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षाओं (75+25) दोनों को मिलाकर कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही विद्यार्थी उत्तीर्ण माना जायेगा । आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति तक शून्य अंक ही मिलेंगे ।

2 सभी विषयों के मेजर / माइनर / रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रत्येक कोर्स / पेपर में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्ताकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालयी परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर की जायेगी ।

3 किसी भी कोर्स / पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में पेपर उत्तीर्ण करने हेतु विद्यार्थी को विश्वविद्यालयी परीक्षा में पूर्णांक 75 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे । आन्तरिक मूल्यांकन में अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे ।

4. स्नातक (शोध सहित) अथवा परास्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करन हेतु न्यूनतम CGPA 4.0 प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(य) क्रेडिट (Credit Score)निर्धारण की व्यवस्था –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप प्रत्येक मेजर एवं माइनर विषय न्यूनतम 4 एवं अधिकतम 5 क्रेडिट का होगा। इस व्यवस्था के अनुसार प्रथम वर्ष का पूर्ण कोर्स न्यूनतम 52 क्रेडिट तथा द्वितीय वर्ष का पूर्ण कोर्स न्यूनतम 48 क्रेडिट का होना चाहिए अगर विद्यार्थी इससे अधिक क्रेडिट अर्जित करता है तो वह उसके क्रेडिट बैंक में जमा हो जायेंगे ।

चार / पांच (प्रयोगात्मक) मेजर विषय	प्रत्येक	5 / 4 क्रेडिट (प्रति सेमेस्टर)
एक माइनर विषय	एक	4 क्रेडिट (प्रथम सेमेस्टर)
रिसर्च प्रोजेक्ट (प्रति वर्ष)	एक	4+4 क्रेडिट

(र) कक्षोन्नति की व्यवस्था (Promotion to Next Semester/Year) –

1 विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर से अगले सम सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा चाहे सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम कुछ भी रहा हो लेकिन प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति तभी होगी जब विद्यार्थी दोनों सेमेस्टर मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिटस के पेपर्स (Theory/ Practical) उत्तीर्ण कर ले । 50 प्रतिशत की गणना में दशमलव के अंक नहीं गिने जायेंगे । द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत होने के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक 52 क्रेडिट् का 50 प्रतिशत 26 क्रेडिट प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं मेजर विषयों एवं रिसर्च प्रोजेक्ट को मिलाकर न्यूनतम 24 क्रेडिट अर्जित करने होंगे ।

2 क्रेडिट्स की गणना में मेजर, माइनर एवं रिसर्च प्रोजेक्ट विषय सम्मलित होंगे । कक्षान्नोति के लिए कोई CGPA नहीं होगा ।

3 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा । इसको न्यूनतम 4.0 CGPA के साथ पूर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी । यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने उ0प्र0 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण की है ।

(ल) बेक पेपर एवं इम्प्रूवमेण्ट (Back Paper / Improvment) की परीक्षा व्यवस्था–

1 आन्तरिक परीक्षा में बेक पेपर या इम्प्रूवमेण्ट की परीक्षा नहीं होगी । केवल पूर्ण सेमेस्टर की बेक परीक्षा के साथ ही वह विश्वविद्यालय परीक्षा के तारतम्य में आन्तरिक परीक्षा दे सकता है ।

2 विद्यार्थी बेक पेपर या इम्प्रूवमेण्ट कितनी भी बार दे सकता है परन्तु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल एक वर्ष पहले पेपर्स के लिए ही लागू होगी तथा उक्त परीक्षा/पेपर का पाठ्यक्रम वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर में जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा ।

3 किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष जबकि दो वर्षीय पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष रहेगी ।

पीएच0डी0 कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देश –

1. पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन का आधार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में बनेगा ।

2. शोध में प्री–पीएच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य है जिसमें दो पेपर मेजर विषय के 6–6 क्रेडिट के होंगे तथा एक पेपर मुख्य विषयों से सम्बन्धित रिसर्च मैथेडोलॉजी (Including Research Ethics, Plagiarism and Computer Applications) 04 क्रेडिट का होगा।

3. प्री–पीएच0डी0 कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 55 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड / CGPA होंगे ।

4. थ्यौरी पेपर्स के अतिरिक्त प्री–पीएच0डी0 कोर्स वर्क में पाठ्यक्रम समिति (BOS) एवं एकेडेमिक काउंसिल द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार एक शोध परियोजना भी होगी जिसका अंकन विद्यार्थी की ग्रेड सीट पर प्राप्तांकों के अनुसार होगा परन्तु उन्हें CGPA की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

5. प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा एवं मूल्यांकन 75+25 (75 वाह्य + 25 आन्तरिक) के आधार पर किया जायेगा । जबकि शोध परियोजना (Dissertation) में मूल्यांकन 50+50 (बाह्य एवं आन्तरिक) के आधार पर किया जायेगा । लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत ही होंगे।

6 प्री–पीएच0डी0 कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करने वाले उत्तीर्ण विद्यार्थी को उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च (PGDR) दिया जायेगा और विद्यार्थी पीएच0डी0 में शोध के लिए पंजीकरण हेतु पात्र होगा / होगी ।

7 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–69/सत्तर–1–2022 दिनांक 06–01–2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिये प्री–पीएच0डी0 कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु मौतिक कक्षाओं के साथ–साथ आनलाईन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है । विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को दृष्टिगत रखते हुए प्री–पीएच0डी0 कोर्स वर्क हेतु कक्षाओं का समय बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से तय किया जायेगा ।

(ब) 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली–

तालिका –1

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	40	4
F	Fail	0-39	0
AB	Absent	Absent	0

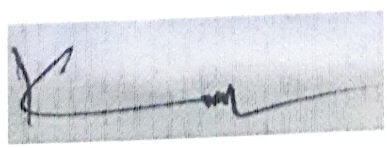

8. SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी –

jth सेमेस्टर के लिए	यहाँ पर
SGPA (Sj) = $\sum$(Ci x Gi)/ $\sum$Ci	Ci = number of credits of the ith course in jth semester, Gi = grade point scored by the stduent in the ith course in jth semester
CGPA = $\sum$ (Cj x Sj) / $\sum$Cj	**यहाँ पर** Sj = SGPA of the jth semester Cj = total number of credits in the jth semester,

नोट – CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

9. श्रेणी / वर्गीकरण व्यवस्था –

विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

संलग्नक : पाठ्यक्रम योजना प्रारूप ।

(प्रो0 अरुण कुमार गुप्ता)
प्राचार्य, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़
समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 प्रकोष्ठ

(डॉ0 कमल सिंह)
एसो0प्रो0
धर्मसमाज कालेज, अलीगढ़

(डॉ0 हरेन्द्र कुमार गौड़)
असि0प्रो0
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

(डॉ0 मोनिका)
एसो0प्रो0
टीकाराम कॉलेज, अलीगढ़

सदस्यगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 प्रकोष्ठ राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़